295

संख्या : 966 /XIV-2/2015/07(06)/2013

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद ऊधमसिंह नगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2015

विषयः– राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014–15 में मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने के देय गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 20.00 प्रति कुन्टल की दर से प्रतिपूर्ति के रूप में शासकीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत किया जाना है कि पेराई सत्र 2014–15 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने के मूल्य भुगतान हेतु शासनादेश संख्या–929/XIV–2/2015/07(06)/2013, दिनांक 07 नवम्बर, 2015 द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से रू0 70.32 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। तत्समय राज्य आकस्मिकता निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मात्र् रू0 25..00 करोड़ की धनराशि आहरित हो सकी।

अतः श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश संख्या–929/XIV–2/2015/07(06)/2013, दिनांक 07 नवम्बर, 2015 के क्रम में पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 70.32 करोड़ को रू0 25.00 करोड़ मानते हुए अवशेष धनराशि रू0 45.32 करोड (रू.पैंतालीस करोड बत्तीस लाख मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

1. प्रतिपूर्ति दावा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाएगा एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/भुगतान गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार इंगित चीनी मिलों को सत्र 2014–15 में क्रय किए गए कुल गन्ने की मात्रा का रुपये 20.00 प्रति कुन्टल की दर से आंगणन करते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक चीनी मिल सहायता की धनराशि किसानों के खाते में जमा करायेगी। वांछित उद्देश्य हेतु व्यय शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।
2. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण–वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्यता शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।
3. आकस्मिकता निधि से वास्तविक आहरित हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति तत्काल अनुपूरक बजट से कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शेष धनराशि समर्पित की जायेगी।

उक्त स्वीकृत की जाने वाली रू0 45.32 करोड़ की धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–929/XIV–2/2015/07(06)/2013, दिनांक 07 नवम्बर, 2015 के संलग्नक के अनुसार की गई धनराशि के फॉट के अनुरूप अवशेष देयकों के रूप में किया जायेगा। उक्त दोनों शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि का योगं रू0 70.32 करोड़ रहेगा।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या : 86/XXVII(1)/रा०आक०निधि/2015, दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा) उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दाकी)
अपर सचिव।

संख्या : 966 /(1) **XIV-2/2015/07(06)/2013** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) जिलाधिकारी, हरिद्वार/उधमसिंह नगर।
(2) सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार/उधमसिंह नगर।
(3) वित्त अनुभाग–4/बजट निदेशालय/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(4) निजी सचिव, मा० गन्ना मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
(5) प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स, देहरादून।
(6) प्रधान प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें।
(7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर/उप–कोषाधिकारी, काशीपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर।
(8) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
(9) मीडिया सेण्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।